

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(स्थापना विभाग)

मानक भवन  
9, बहादुर शाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली-1 10002

हमारा संदर्भ: स्था-I/1/06:01/01/2022

दिनांक : 30 दिसम्बर 2021

**कार्यालय जापन**

निम्नलिखित आशुलिपिकों को वेतन मेट्रिक्स में लेवल-6 में निजी सहायक पद में नीचे दिये गए विवरण के अनुसार पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है :

The following Stenographers have been selected for promotion to the post of Personal Assistant in the Level-6 in the Pay Matrix as per details given below :

क्र.सं. Sl.No.	कर्मचारी सं. Emp No.	कर्मचारी का नाम Name of the employee	वर्तमान तैनाती का स्थान Present place of posting
1.	064840	श्री कार्तिकेश्वर पांडा Shri Kartikeswar Panda	भुवनेश्वर शाखा कार्यालय, भुवनेश्वर BHBO, Bhubneshwar
2.	064831	श्रीमति मीनाक्षी सलूजा Smt. Meenakshi Saluja	मुख्यालय- सामान्य सेवा विभाग HQ-General Services Deptt.

2. उनकी पदोन्नति उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर निजी सहायक पद पर 01 जनवरी 2022 अथवा पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी। अतः वे पदोन्नति पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तदनुसार अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ईमेल estt@bis.gov.in द्वारा भेजें।

Their promotion will take effect from 01 January 2022 OR the date they assume the duties of the post of Personal Assistant at their present place of posting, whichever is later. Therefore, they should send their duty assumption report on promotion accordingly to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through their Departmental Head.

3. चूंकि वे MACPS के अंतर्गत 1<sup>st</sup> वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत लेवल-5 में वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए, वे नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की पात्र नहीं हैं। यद्यपि, वे मेट्रिक्स में उच्च लेवल वाले पद पर पदोन्नति होती है तो जैसा कि MACPS के अंतर्गत उपलब्ध है, कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा, केवल उच्च लेवल तथा निम्न लेवल में वेतन के अंतर, यदि कोई है, के पात्र होंगे।

Since, they have got the benefit of pay fixation under the grant of 1<sup>st</sup> Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-5, therefore, they are not entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules. However, the promotion is in the post carrying higher Level in the Pay Matrix than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of pay, if any in the pay in the existing Level and the Higher Level, would be made available.

4. वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे, जिसको ब्यूरो के नियमों व विनियमों के अंतर्गत स्वीकृत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उन पर बिना किसी कारण या बिना किसी सूचना के आशुलिपिक पद पर प्रत्यावर्तित किए जाने की बाध्यता होगी।

They shall be on probation for a period of two years, which may be extended by the Appointing Authority as permitted under the Rules and Regulations of the Bureau. During the period of probation, they will be liable to be reverted to the post of Stenographer without any notice or any reason being assigned.

5. उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

They will be required to serve anywhere in India.

6. सेवा की अन्य नियम व शर्तों के संबंध में वह समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनियमों द्वारा शासित होंगी।

As regards other terms and conditions of service they will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

हस्ता/-  
(शोएब अख्तर)  
उप निदेशक (स्थापना)

उपरोक्त पैरा 1 के अंतर्गत दिये कर्मचारियों को उनके संबन्धित विभागीय प्रमुखों के माध्यम से

प्रतिलिपि: (i) संबन्धित उपमहानिदेशक (सतर्कता सचिवालय)


(iv) संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल

(vi) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेतु)

(ii) निदेशक (लेखा) (iii) निदेशक (वित्त)

(v) संबन्धित कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल (संबन्धित विभाग)

(vii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंटरनेट पर परिचालन हेतु)

  
उप निदेशक (स्थापना)